[redacted]

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन-भोपाल-462004

क्रमांक एफ 7-42/2012/आप्र/एक भोपाल, दिनांक 31 अगस्त 2019

प्रति

समस्त अनुविभागीय अधिकारी "राजस्व" (पदाभिहित अधिकारी)
समस्त जिला कलेक्टर (प्रथम अपीलीय अधिकारी)
समस्त संभागायुक्त (द्वितीय अपीलीय अधिकारी)
मध्यप्रदेश

विषयः-विमुक्त, घुमक्कड एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति के व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाने के संबंध में ।

संदर्भः-सामान्य प्रशासन विभाग का समसंख्यक परिपत्र दिनांक 13 जनवरी 2014, 13 अगस्त 2018

--0--

सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित परिपत्र दिनांक 13 जनवरी 2014 की कंडिका 10 में विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जातियों के व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं, जिसकी कंडिका 10.3 एवं 10.4 निम्नानुसार है:-

"10.3 इन जातियों के जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदक को सिर्फ उनकी जातियों की पुष्टि करना होगा । साथ ही वह वर्तमान में मध्यप्रदेश में निवासरत् होना चाहिए ।

10.4 इन जातियों की पुष्टि के लिए आवेदक को उसके परिवार में किसी सदस्य (पिता/चाचा/भाई/बहन/दादा) को पूर्व में जारी किये गये जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति/शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र/शासकीय- अर्द्ध शासकीय सेवा का रिकार्ड/राशन कार्ड/अचल संपत्ति (भू-अभिलेख) का रिकार्ड (जो उपलब्ध हो) वह संलग्न करना चाहिए । इनमें से उतना ही रिकार्ड पर्याप्त होगा, जिससे उसकी जाति की पुष्टि हो जाए । सभी दस्तावेज अनिवार्य नहीं है ।"

2. शासन के ध्यान में यह तथ्य लाया गया है कि विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड जाति के व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाने के संबंध में उक्त निर्देशों का समुचित रूप से पालन नहीं किया जा रहा हैं, जिससे उक्त जातियों के विद्यार्थियों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है ।

3. अत: पुन: निर्देशित किया जाता है कि विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड जाति के व्यक्तियों को उक्त निर्देशों के अनुरूप निर्धारित समय-सीमा में जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

(के.के. कातिया)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ.क्र. एफ 7-42/2012/आप्र/एक भोपाल, दिनांक 31 अगस्त 2019

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल की ओर उनकी टीप क्रमांक 1799/cms/BCS/2-19, दिनांक 24.07.2019 के संदर्भ में प्रेषित कर अनुरोध है कि प्रकरण को सामान्य प्रशासन विभाग लंबित मॉनिट "A" की सूची से विलोपित करने का कष्ट करें ।

2. निज सहायक, मान. विधायक, विधानसभा क्षेत्र 114, बरघाट की ओर मान. विधायक के मान. मुख्यमंत्रीजी को संबोधित पत्र दिनांक 09.07.2019 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित ।

3. अवर सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना) की ओर सा.प्र.वि. की वेबसाइट में अपलोड किए जाने हेतु प्रेषित ।

अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग